प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 10.11.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. राजाराम चौहान पुत्र मधई चौहान निवासी केकरहो थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दिनेश कसौधन, हे0 का0 उदयभान यादव, का0 दुर्गेश यादव।
थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता बलिराम पुत्र रामखेलावन निवासी तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अवधेश तिवारी, का0 अनुराग मिश्रा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 6889 द्वारा मोटरसाइकिल से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6889 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सिसवा से कालर द्वारा मोटर से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति चालक (01.संतोष राजभर पुत्र संतराम राजभर निवासी हकीमपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 लवकुमार गुप्ता, का0 ऋषभ राय, हो0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 402 वाहनों से 461,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 402 वाहनों से 461,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं 1009/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त किशन कुमार उर्फ शिवम पुत्र महेन्द्र कुमार चौहान निवासी जिगिना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.11.2026 को कांटे चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 08.11.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.11.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, का0 मुकेश कुमार , हे0का0 दीपचन्द्र राजभर।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 10-10 हजार रु0 के ईनामियां 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस में वांछित 10-10 हजार रु0 के ईनामियां 02 अभियुक्तगण नाम पता 01. अंकुश सिंह उर्फ अंकुर पुत्र श्यामसुन्दर सिंह उर्फ पप्पू सिंह .02 इन्द्रजीत सिंह पुत्र अनिरूद्ध सिंह निवासीगम कुडवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 10.11.2026 को विसौवा बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 27.05.2026 को वादी श्री अवधेश पुत्र केसर थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तो द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे भाई को धारदार हथियार से मारपीट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 10.11.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा, का0 अमेरिका प्रसाद , कां0 लालजी गौड़ ,कां0 मनीष कुमार, कां0 रामबाबू साहू।